www.officebabu.com द्वारा पेश है :

Income Tax Rule in Hindi

Calculation of Income Tax for the year 2016-17

1. **कुल आय :**
   इसमें सभी वेतन भत्ते (T.A./D.A. को छोड़कर), सभी प्रकार की जमा राशियों पर ब्याज (GPF तथा PPF को छोड़कर तथा u/s 80TTA बचत खाते पर 10000/- रुपये तक ब्याज को छोड़कर), पैंशन, पारिवारिक पैन्शन तथा आय सभी प्रकार की आय शामिल होती है। सरकार की ओर से कर्मचारी के खाते में नई पैन्शन स्कीम में किया गया योगदान धारा 80 CCD (वेतन का अधिकतम 10%) के अंतर्गत 01.04.2011 से छूट प्राप्त है। डाकघर बचत खाते पर Single खाते में 3500 रूपये तथा joint खाते में 7000 रूपये तक ब्याज पर छूट का अतिरिक्त प्रावधान है ।
2. **बचतों से पहले की छूट:**
   1. HRA- यदि किराए के मकान में रहते है और आपने सैलरी (Pay+G.P.+D.A.) के 10% से जितना अधिक किराया दिया है या जो मकान किराया भत्ता प्राप्त किया है, उनमें से न्यूनतम राशि की छूट का प्रावधान है। धारा 80G.G के अंतर्गत जिन कर्मचारियों को वेतन के साथ मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है उनके लिए छूट का प्रावधान है। उन्हें वेतन के 10% से अधिक दिया गया किराया या वेतन का 25% या 5000 रूपये प्रतिमास, जो भी न्यूनतम हो की छुट का प्रावधान है।
   2. धारा 80D के अंतर्गत स्वयं, पति/पत्नी तथा बच्चों के लिए मैडिकलेम पालिसी का परिमियम चैक द्वारा भुगतान करने पर 25000 रूपये तक छूट का प्रावधान है। माता-पिता के लिए पालिसी पर 25000 रूपये पुर अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में (80 वर्ष से अधिक) यह छूट 30000 रूपये हो जाती है।
   3. धारा 80DD के अंतर्गत के अंतर्गत Autism, Cerebral Palsy or Multiple Disabilities से पीड़ित आश्रित की देखभाल/ईलाज पर 40% से अधिक विकलांगता होने पर 50,0000 रूपये तथा 80% से अधिक विकलांगता होने पर 1,00,000 रुपये तक छूट का प्रावधान है। इस छूट के लिए सक्षम डाक्टर से प्रमाण पत्र देना होता है।

www.officebabu.com

4. u/s 80DDB के अंतर्गत स्वयं या आश्रित की कुछ विशेष बीमारियों जैसे Neurological disease, cancer, full blown AIDS, Chronicle Renal Failure, Nemophia, Thelasseimia इत्यादि पर खर्च किया है तो MD/MS डाक्टर से प्रमाण पत्र देने पर 40000 रुपये तथा Senior Citizen (80 वर्ष से अधिक) की अवस्था में 80000 रुपये छूट का प्रावधान है। यदि ईलाज खर्च की प्रति पूर्ति ली गई है तो ली गई प्रतिपूर्ति की राशि 40000/80000 रुपये की राशि में कम करनी पड़ेगी।
5. धारा 17 - यदि किसी कर्मचारी को सरकारी/मान्यता प्राप्त अस्पताल में ईलाज पर प्रतिपूर्ति मिलती है तो सारी राशि तथा अन्य अस्पताल में ईलाज़ पर प्रतिपूर्ति मिलने पर 15000 रुपये तक की राशि के छूट का प्रावधान है ।
6. धारा 80 E के अंतर्गत स्वयं, पति/पत्नी तथा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर पूरी छूट का प्रावधान है। यह छूट जिस वर्ष से ब्याज का भूगतान किया गया है से लेकर जब तक भूगतान किया जाएगा (अधिकतम 8 वर्ष) तक प्राप्त होगी ।
7. धारा 80G के अंतर्गत कुछ दान 100% (सरकारी) तथा कुछ पर 50% छूट का प्रावधान है। 50% छूट वाले दान की कुल राशि वेतन का अधिकतम 10% तक सीमित होती है तथा इस पर छूट देना D.D.O. के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसका रिफ़ंड लिया जा सकता है।
8. धारा 24b के अंतर्गत गृह ऋण पर ब्याज की अधिकतम 200000 रुपये तक छूट का प्रावधान अहि। यह छूट उस समय देय होती है जब ब्याज की गणना की जाती है चाहे उसका भुगतान न किया गया हो तथा मकान स्वयं या परिवार द्वारा प्रयोग किया जाता हो। धारा 80EE के अंतर्गत यदि ऋण 2013-14 में लिया हो तथा ऋण की राशि 2500000 रुपये तक हो और मकान की कीमत 4000000 रुपये तक हो तो 250000 रुपये तक ब्याज पर छूट ली जा सकती है। House Loan की Processing Fee तथा Pre payment पर दिया गया Fine भी ब्याज की राशि में जोड़ा जा सकता है। दूसरे मकान के ऋण के ब्याज पर पूरी छूट ली जा सकती है। परंतु इसके किराए से प्राप्त राशि को आय में जोड़ना पड़ेगा।
9. धारा 80यू के अंतर्गत 50% या उससे अधिक अपंगता वाले व्यक्ति को 75000 रुपये तथा 80% या उससे अधिक अपंगता की स्थिति में 125000 रुपये की छूट का प्रावधान है। यह छूट प्रथम वर्ष में D.D.O.नहीं दे सकता। प्रथम वर्ष में इसे रिटर्न में क्लेम किया जाता है। इसके लिए सक्षम अधिकारी ले मैडिकल सर्टिफिकेट देना होता है।

www.officebabu.com

10. u/s 80CCD (2) में Employer द्वारा दिया गया पैंशन में Contribution (10% तक) पर 1,50,000 रुपये की बचत छूट के अतिरिक्त पूरी छूट का प्रावधान है।
11. परिवहन भत्ता पर छूट 1600 रुपये प्रतिमास अधिकतम है।

3. **बचतों की गणना:**
    1. धारा 80C के अंतर्गत कुछ Mutual Funds/NSC/GPF/PPF/LIC प्रीमियम (कुल बीमित राशि के 20% तक)/गृह ऋण की वापसी/ अधिकतम 2 बच्चों तक दी गई Tuition Fee/Ulip/ICICI/IDBI Bonds/National Housing Bank में जमा राशि/बचत पत्र पर संचित ब्याज तथा मकान खरीद पर रजिस्ट्री इत्यादि पर किया गया स्टाम्प खर्च इत्यादि बचतें शामिल है। इसमें बैंको/डाकघर की कुछ 5 बर्षीय सावधि जमाएँ भी शामिल है।
    2. धारा 80CCC के अंतर्गत LIC या अन्य एजेंसी की पैंशन योजना में जमा राशि। (**नोट:** उपर्युक्त a, b के अंतर्गत बचतों पर अधिकतम 1,50,000 रुपयेतक छूट का प्रावधान है।)
    3. कर्मचारी द्वारा सरकार की नई पैंशन योजना में जमा अंश दान धारा 80CCCD के अंतर्गत (वेतन का अधिकतम 10% तक) 50,000 रुपये तक की छूट का प्रावधान है। यह छूट 1,50,000 से अतिरिक्त है।
4. **कर योग्य शुद्ध आय की गणना:**

    कुल आय भाग-1 में से भाग-2 के अंतर्गत प्राप्त सभी छूटें तथा भाग-3 के अंतर्गत सभी जमा राशियाँ घटाने के बाद शेष राशि कर योग्य शुद्ध आय मानी जाती है। इसे निकटतम 10 रुपये के गुणज में लिया जाता है।

5. **आय कर की गणना:**

    कर योग्य आय पर आकार की गणना निम्नलिखित दर से की जाती है।

    कुल देय आयकर निकटतम 10रुपये के गुणज में सीमित करके उसमें सरचार्ज (यदि लागू है) तथा Ed. Cess शामिल करके भुगतान करना होता है।

www.officebabu.com

आय कर

क्रम संख्या	आय सीमा	60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए	शिक्षा अधिभार	सरचार्ज	u/s 87A विशेष छूट
1	2,50,000 रुपये तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक	10%	3%	शून्य	5000
3	5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	25000 रुपये + 5,00,000 रुपये से अधिक आय पर 20%	3%	शून्य	शून्य
4	10.00.001 से 1 करोड़ रुपये तक	1,25,000 + 10,00,000 रुपये से अधिक आय पर 30%	3%	शून्य	शून्य
5	1 करोड़ रुपये से अधिक	3,95,000 रुपये + 1 करोड़ रुपये से अधिक आय पर 30%	3%	12%	शून्य

Note: Senior citizens below age of 80 years will give zero tax up to income Rs-300000 and of 80 or more years will give zero tax up to Rs. 500000 income.

- **विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य :**
    1. यदि कुल देय आयकर 10,000 रुपये से अधिक है तो इसका अग्रिम भुगतान करना अनिवार्य है। 30% 15 सितम्बर तक, 30% 15 दिसंबर तक तथा शेष 40% 15 मार्च तक।
    2. देरी से भुगतान किए गए आयकर पर 1% प्रतिमास की दर से ब्याज दिया जाता है। वर्ष के दौरान देरी पर पूरी तिमाही का ब्याज देना होता है। परंतु 31 मार्च के बाद देरी पर ब्याज मासिक आधार पर देय होता है।
    3. बकाया या अग्रिम प्राप्त राशि पर धारा 89 के अंतर्गत फार्म 10-E भरकर छूट का प्रावधान है। बकाया की गणना संबन्धित वर्षों में करके आयकर का भुगतान किया जाता है।
    4. यदि एक से अधिक स्थानों पर वेतन या बकाया भुगतान लिया है तो आयकर का भुगतान वर्तमान स्थान पर किया जा सकता है।

www.officebabu.com

5. मकान ऋण पर ब्याज को, मकान से प्राप्त आय के कालम में ऋणात्मक आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा अपने मित्र/संबंधी से लिए गए मकान ऋण पर भी छूट का प्रावधान है।
6. यदि कोई कर्मचारी पारिवारिक पैंशन प्राप्त कर रहा है तो यह आय, अन्य स्त्रोत से प्राप्त आय के कालम में दर्शाई जाती है इस पर 1/3 भाग के समान (अधिकतम 15,000 रुपये) छूट भी प्राप्त होती है, जो धारा 57 के अंतर्गत मिलती है।
7. सामान्य पैंशन, वेतन का भाग होती है।
8. DDO द्वारा फार्म 16 देने की अंतिम तिथि 31 मई तथा फार्म 24Q जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मई होती है।
9. यदि मकान किराए की छूट 3000 रुपये मासिक तक प्राप्त करनी है तो किराया रसीद देने की कोई आवश्यकता नहीं है परंतु DDO चाहे तो मांग सकता है।

www.officebabu.com